## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 24.11.2026**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष-2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कारावास व 17 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोगों में कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व कुल 17 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06.02.2020 को राजेश पुत्र शिवदास द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में धारा 354(क)/452/376/323/504/506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री रमाकांत शुक्ला द्वारा सम्पादित की गई। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 निरंजन कुमारी तथा पैरोकार आरक्षी देवीदयाल के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कारावास व कुल 17 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

**अभियुक्त-**

1. राजेश पुत्र शिवदास निवासी ग्राम जारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।